web copy

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरू
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2018/00030 दायर दिनांकः 12.04.2018

भानाराम पुत्र झंडाराम (फौत) जरिये –

1/1 भतेरी पत्नी स्व. भानाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू –अपीलांट–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू
2. धर्मपाल पुत्र स्व. भानाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
3. कमला पुत्री स्व. भानाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
4. सावित्री पुत्री स्व. भानाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
5. फूलसिंह पुत्र स्व. झंडाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू(मृत)

5/1 संतरा देवी पत्नी स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

5/2 सरोज पुत्री स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

5/3 ललित कुमार पुत्र स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

5/4 विनोद पुत्र स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

5/5 प्रमोद पुत्र स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

5/6 कृष्ण पुत्र स्व. फूलसिंह जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

6. रामकुमार पुत्र स्व. झंडाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
7. हवासिंह पुत्र स्व. झंडाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
8. रामसिंह पुत्र स्व. झंडाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू
9. लिछमणराम पुत्र स्व. झंडाराम जाति जाट निवासी गांव भाकरा तह0 राजगढ़ जिला चूरू

–रेस्पोडेंट्स–

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.02.2018 न्यायालय तहसीलदार चूरू अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री आनंद बालान, हीरालाल एडवोकेट्स वास्ते अपीलांट।
2. श्री श्यामलाल सैनी एडवोकेट वास्ते रेस्पोडेंट सं. 01 ता 09

निर्णय दिनांकः 20.07.2018

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर न्यायालय चूरू से वास्ते सुनवाई स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर ऑनलाइन दर्ज की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. अपीलांट के पिता झंडाराम के द्वारा दिनांक 21.07.1966 को एक बख्सीसनामा घड़सीराम वगैरा 11 व्यक्तियों ने ख.नं. 126/73 रोही ग्राम भाकरा तादादी 04.10 बीघा कृषि भूमि का बहला फुसलाकर एवं धोखे में डालकर एवं ग्राम के किसी रास्ते को खुलवाने का बहाना बनाकर झंडाराम के बख्सीसनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये और बख्सीसनामा में यह लिखा गया कि उक्त 11 व्यक्तियों द्वारा इस कृषि भूमि को चाही बनाकर काश्त करेंगे लेकिन उक्त घड़सीराम वगैरा 11 व्यक्तियों ने इस शर्त का उल्लंघन करते हुए उक्त भूमि में मकान बनाकर रिहायश करते आ रहे हैं। इसलिए मातहत न्यायालय ने उक्त शर्त को नजरअंदाज करते हुए विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है।
2. झंडाराम के खेत ख.नं. 126/73 के बाद में ख.नं. 200 बने तथा ख.नं. 200 का विभाजन होकर ख.नं. 307/200 व 308/200 बने। ख.नं. 307/200 से वर्तमान ख.नं. 373 बने हैं तथा ख.नं. 308/200 से वर्तमान ख.नं. 374 बना है। ख.नं. 374 का खाता विभाजन होकर वर्तमान में ख.नं. 374 के नये ख.नं. 461/374, 462/374, 463/374, 464/374, 465/374, 466/374 बने हैं जो गौण प्रत्यर्थीगण सं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

02 ता 09 अपीलार्थीनी के खातेदारी में दर्ज है। जिन तथ्यों की ओर कोई गौर ना फरमाते हुए मातहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है।

3. झंडाराम ने जो बख्सीसनामा किया था उसका कानून में कोई मान्यता नहीं है क्योंकि राजस्व अधिनियम व राजस्व बोर्ड के दृष्टांतों के तहत पैतृक संपति का बख्सीसनामा नहीं किया जा सकता।
4. पीठासीन अधिकारी तहसीलदार चूरू ने पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थी भानाराम के वारिसान एवं झंडाराम के वारिसान लिछमणराम, रामसिंह, हवासिंह, फूलाराम, रामकुमार गौण प्रत्यर्थीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा को पक्षकारान ने पत्रावली को प्रस्तुत किया था लेकिन उक्त राजीनामा को पत्रावली के फर्द अहकाम में भी नहीं लिया गया एव ना ही राजीनामा को तस्दीक किया गया। मात्र गौण प्रत्यर्थीगण के फर्द अहकाम में हस्ताक्षर मात्र करवाये गये लेकिन राजीनामा को फर्द अहकाम में दर्ज नहीं किया। इस कारण मातहत अदालत ने अपीलगत आदेश पत्रावली का पूर्ण गौर ना कर मनमाने तरीके से पारित किया है।
5. मातहत न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना अपीलार्थी की साक्ष्य लिये अपना विवादास्पद आदेश पारित किया है। मातहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित किये जाने का आधार व औचित्य नहीं है।
6. भानाराम की मृत्यु होने के कारण उसकी वारिस श्रीमती भतेरी को पक्षकार अपीलांट बनाया गया है तथा गौण प्रत्यर्थीगण सं. 02 ता 04 भानाराम के जायज वारिसान है। गौण प्रत्यर्थीगण सं. 05 ता 09 भानाराम के सगे भाई हैं। अपीलगत विवादित कृषि भूमि ख.नं. 373 तादादी 1.14 हैक्टेयर पर अपीलार्थी व गौण प्रत्यर्थीगण सं. 02 ता 04 का मौके पर 1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग है तथा प्रत्यर्थीगण सं. 05 ता 09 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है जिनका उक्त विवादित कृषि भूमि पर हित निहित है इसलिए इनको गौण प्रत्यर्थीगण संयोजित किया गया है।
7. अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर मातहत अदालत तहसीलदार चूरू जिला द्वारा प्रार्थना–पत्र सं. 14/2016 अनुवानी भानाराम बनाम् सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 को अपास्त किया जाकर एवं नामान्तरणकरण सं. 117 में लगाये गये नोट दिनांक 04.03.1997 के आधार पर खारिज किये गये नामान्तरणकरण में किये गये नोटिंग को अपास्त किया जाकर कॉलम 09 में भानाराम की जगह अपीलार्थीनी भतेरी व प्रत्यर्थीगण सं. 02 ता 04 धर्मपाल, कमला, सावित्री को 1/6 हिस्सा में तथा गौण प्रत्यर्थीगण सं. 05 ता 09 क्रमशः फूलसिंह, रामकुमार, हवासिंह, रामसिंह व लिछमणराम प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे व नामान्तरणकरण सं. 117 में किये गए खारिज के नोटिंग दिनांक 04.03.1997 को हटाया जावे।

रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 05 की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को वारिसान को रिकॉर्ड पर रेस्पोडेंट के रूप में 5/1 ता 5/6 संयोजित किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि मृतक झंडाराम द्वारा कराई गई बख्शीशनामा के आधार पर पूर्व में तहसीलदार राजगढ़ द्वारा नामान्तरणकरण खोले जाने का आदेश दिनांक 15.02.1994 को दिया गया था। इसकी पालना में नामान्तरणकरण खोला गया। तत्कालीन तहसीलदार राजगढ़ ने खोले गये नामान्तरणकरण सं0 117 दिनांक 04.03.1997 को गलत रूप से खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट भानाराम ने जिला कलक्टर न्यायालय, चूरू में अपील सं. 41/2015 पेश की थी, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 17.12.2015 को निर्णय करते हुए तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 04.03.1997 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार राजगढ़ को प्रतिप्रेषित(रिमांड) किया गया। रिमांड करते हुए तहसीलदार राजगढ़ को निर्देशित किया गया कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

तहसीलदार राजगढ़ को प्रकरण रिमांड के पश्चात सुनवाई व निस्तारण हेतु जिला कलक्टर न्यायालय चूरू द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चूरू को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस पर तहसीलदार चूरू ने बिना तथ्यों का विश्लेषण व साक्ष्य सबूत का विवेचन किये बिना आधार के अपील गलत रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

दिनांक 09.02.2018 को खारिज कर दी। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। यह प्रकरण तहसीलदार राजगढ़ को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु भेजा जाना उचित है।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने दौराने बहस कहा कि भानाराम के वारिस भतेरी के नाम नामान्तरणकरण पुनः खोले जाने व अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तत्कालीन तहसीलदार राजगढ़ ने नामान्तरणकरण सं. 117 दिनांक 04.03.1997 को गलत खारिज कर दिया था। जिसकी अपील जिला कलक्टर न्यायालय में भानाराम ने प्रस्तुत की थी जिसमें आदेश दिनांक 04.03.1997 तत्कालीन तहसीलदार का अपास्त कर दिया गया था। इसलिए अपील–अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा तहसीलदार चूरू का आदेश दिनांक 09.02.2018 अपास्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस व तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजगढ़ का दिनांक 25.05.1994 के आदेश का अवलोकन किया। तहसीलदार राजगढ़ ने अपने आदेश क्रमांक/भू.अ./94 दिनांक 25.05.94 को उक्त भूमि ख.नं. 306/200 तादादी 04.10 बीघा वाके रोही भाकरा का मृतक झंडा के वारिसान के नाम दर्ज करने के पटवारी हल्का को आदेश दिये। इस पर पटवारी ने इंतकाल दर्ज कर दिनांक 03.06.94 किया। जिस पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई। तहसीलदार राजगढ़ ने दिनांक 04.03.1997 को नामान्तरणकरण सं. 117 नोटिंग करते हुए खारिज कर दिया। जिसकी अपील जिला कलक्टर न्यायालय चूरू में भानाराम पुत्र झंडाराम द्वारा प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर अपील सं. 41/2015 दर्ज की गई। दोनों पक्षों को सुना जाकर न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 17.12.15 के निर्णय का अवलोकन किया। निर्णय में उल्लेख किया है कि नामान्तरणकरण पटवारी हल्का ने तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 25.05.1994 की पालना में दर्ज किया गया था। फिर भी तहसीलदार ने नामान्तरणकरण खारिज कर दिया था। तहसीलदार के आदेश दिनांक 04.03.97 को अपास्त किया जाता है तथा अपील–अपीलांट तहसीलदार राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण करे। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार राजगढ़ ने कार्यवाही शुरू की। जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण वास्ते सुनवाई तहसीलदार चूरू को स्थानान्तरित की गई। तहसीलदार चूरू के समक्ष उक्त पत्रावली दिनांक 25.05.2017 को प्रस्तुत हुई। तत्पश्चात तहसीलदार चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.18 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चूरू ने बिना साक्ष्य व सबूतों का विश्लेषण किये बख्शीशनामा पंजीकृत दस्तावेज को जब तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर खारिज नहीं करवाया जाता है तब तक दस्तावेज प्रभाव में रहता है तथा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा धारा 42ए के अंतर्गत बख्शीशनामा का नियमन आदेश दिनांक 01.05.1991 से किया गया है। अतः अपील खारिज की जाती है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में मृतक भानाराम की पत्नी भतेरी ने अपील प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अपील–अपीलांट मृत भानाराम के वारिस भतेरी की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। इसलिये तहसीलदार चूरू का निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2018 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार चूरू का आदेश दिनांक 09.02.2018 अपास्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के मध्यनजर तहसीलदार राजगढ़ को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
चूरू